स्व. चन्द्रपाल डड़सेना

969

शासकीय महाविद्यालय पिथौरा

जिला – महासमुन्द (छ.ग.)

चन्द्रपाल डड़सेना शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा

विद्या ददाति विनयम्

स्थापना वर्ष १९८९

विवरणिका

सत्र् – 2016–17

E-mail - govtcollege.pithora @ gmail.com

Webside - http://www.govtcollege pithora.org.in

Phone & fax - 07707 - 271517

मुल्य : 40/ –

महेश्वरी स्क्रीन प्रिन्टर्स एवं फोटोकापी पिथौरा, 8435548333,9575474122

चन्द्रपाल डड़सेना शासकीय महाविद्यालय पिथौरा

जिला – महासमुन्द (छ.ग.)

विवरण पत्रिका

सन् – 2014–2015

परिचय :–

चन्द्रपाल डड़सेना शासकीय महाविद्यालय पिथौरा कला में विज्ञान, कला, वाणिज्य, स्नातक एवं स्नातकोत्तर–इतिहास तथा हिन्दी साहित्य, डी.सी.ए., पी.जी.डी..सी.ए. कक्षाओं के अध्ययन की सुविधाएँ उपलब्ध है।

इसका संचालन और आर्थिक परिक्षेत्र छत्तीसगढ़ शासन के अधीन है।

इस महाविद्यालय को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्धता प्राप्त है। समस्त पाठ्यक्रम शिक्षा एवं परीक्षाओं की योजना विश्वविद्यालय के नियमों व निर्णयानुसार है।

इस महाविद्यालय का नवीन सत्र 2014 ग्रीष्म अवकाश के पश्चात् 01–07–2014 को प्रातः 10:30 बजे से आरम्भ हो रहा है छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर एवं पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से समय – समय पर प्राप्त प्रवेश संबंधी नियम महाविद्यालय सूचना फलक पर देखा जा सकता है। इस महाविद्यालय का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. श्री चंद्रपाल डड़सेना के नाम पर रखा गया है जो इस क्षेत्र के ख्यातिनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे।

पाठ्य विषय (कला संकाय)

1. बी.ए.भाग – 1,2 एवं 3 (एकीकृत पाठ्यक्रम

1.अविवार्य – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

2. ऐच्छिक – (अ) हिन्दी साहित्य (ब) राजनिती शास्त्र(स) अर्थ शास्त्र (द) इतिहास (इ) समाज शास्त्र (कोई भी तीन विषय)

2. बी.कॉम – समस्त अनिवार्य विषय

3. बी.एस.सी. – समस्त अनिवार्य विषय

4. डी.सी ए. (कम्प्यूटर) समस्त अनिवार्य विषय

टीप :– विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु प्रत्येक विषय की कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।

स्नातकोत्तर कक्षा–विषयः इतिहास

एम.ए.पूर्व इतिहास

प्रथम सेमेस्टर

प्रथम प्रश्न पत्र– इतिहास पद्धति (अनिवार्य)

द्वितीय प्रश्न पत्र– बीसवी शताब्दि का विश्व (अनिवार्य)

तृतीय प्रश्न पत्र– प्राचीन एवं मध्यकालीन छत्तीसगढ (अनिवार्य)

चतुर्थ प्रश्न पत्र– संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास (1775 से 1865 वैकल्पिक)

द्वितीय सेमेस्टर

प्रथम/पंचम प्रश्न पत्र– इतिहास लेखन (अनिवार्य)

द्वितीय/षष्ठ प्रश्न पत्र–समकालीन विश्व (अनिवार्य)

तृतीय/सप्तम प्रश्न पत्र–आधुनिक छत्तीसगढ (अनिवार्य)

चतुर्थ/अष्टम प्रश्न पत्र–संयुक्तराज्य अमेरिका का एतिहास (1865से1950वैकल्पिक)

तृतीय सेमेस्टर

प्रथम आधुनिक भारत (1757–1857)–राजनीतिक, प्रशासनिक

द्वितीय आधुनिक भारत (1757–1857)–आर्थिक समाजिक, सांस्कृतिक

तृतीयआरतीय राष्ट्रीय आन्दोलन (1657–1922)

चतुर्थ भारत का सांस्कृतिक इतिहास प्रारंभ से (1526) ईश्वी तक

चतुर्थ सेमेस्टर

आधुनिक भारत (1858–1964 ई.तक)–राजनीतिक, प्रशासनिक

आधुनिक भारत (1858–1964 ई.तक)–आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास (1922 से 1947 ई. तक)

भारत का सांस्कृतिक इतिहास (1526 से 1950 ई.तक)

एम. ए. हिन्दी साहित्य

प्रथम सेमेस्टर

(1) प्रश्न पत्र प्रथम – आदिकाल एवं पूर्व मध्यकाल
(2) प्रश्न पत्र द्वितीय – प्रचीन एवं मध्यकालीन काव्य
(3) प्रश्न पत्र तृतीय – छायावाद एवं पूर्ववर्ती काव्य
(4) प्रश्न पत्र चतुर्थ – नाटक एकांकी एवं चरित्रात्मक कृति

द्वितीय सेमेस्टर

(1) उत्तर मध्यकाल एवं आधुनिक काल
(2) मध्यकालीन काव्य
(3) प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी काव्य
(4) उपन्यास, निबंध एवं कहानी

तृतीय सेमेस्टर

(1) साहित्य का सिद्धांत एवं आलोचना शास्त्र
(2) भाषा विज्ञान
(3) कामकाजी हिन्दी एवं पत्रकारिता
(4) भारतीय साहित्य

चतुर्थ सेमेस्टर

(1) हिन्दी आलोचना तथा समीक्षा
(2) हिन्दी भाषा
(3) मीडिया लेखन एवं अनुवाद
(4) जनपदीय एवं साहित्य (छत्तीसगढ़ी)

प्रवेश आवेदन पत्र

1. सभी प्रवेश आवेदन पत्र, प्रवेश तथा फ्रीशिप निर्धारित फार्म में ही दियें जावे। आवेदन पत्र निर्धारित राशि कार्यलय में जमा करनें पर प्राप्त किया जा सकता है। यह राशि किसी भी कारण से लौटाई नही जावेंगी महाविद्यालय कार्यालय से दिये जानें वाले सभी आवेदन पर पंजीयन संख्या रहेंगी।

2 आवेदन पत्र स्वयं छात्र/छात्राओं द्वारा ही भरा जाना चाहिए तथा पिता या पालक द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।

सूचना

1. पत्येक प्रमाण पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक सत्य प्रतिलिपि आवश्यक है।
2. छात्र/छात्रा को सलाह दी जाती है कि कार्यालय में जानें वाले समस्त मूल प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि अपनें पास सुरक्षित रखें।
3. उपर्युक्त कंडिकाओं के प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ न दिये जाने पर उस सुविधा से संबंधित छात्र/छात्रा वंचित रहेंगे।

प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है कि वे किसी भी छात्र/छात्रा का नाम महाविद्यालय की सूची से हटा दे :-यदि-

1. छात्र/छात्रा महाविद्यालय की बकाया राशि निर्धारित तिथि के अंत तक नहीं चुकाता है।
2. छात्र/छात्रा का महाविद्यालय में बिना पूर्व सूचना के एक माह तक अनुपस्थित रहता/रहती है।
3. छात्र/छात्रा का व्यवहार यदि प्रार्चाय की दृष्टि में असंतोष जनक है।
4. छात्र/छात्रा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करता है।
5. रैगिंग से संबंध पाये जाने पर।
6. अन्य किसी भी विशेष कारणो से छात्र/संस्था हित में।

विशेष:- निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र के साथ लाना अनिवार्य है ।

1. छात्र/छात्राओं का पिछली संस्था का मूल स्थानातारण प्रमाण पत्र।
2. पिछली परीक्षा की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि के साथ मूल अंक सूची अवश्य रुप से जांच हेतु प्रस्तुत करनी होगी जो छात्र/छात्राओं को तुरंत वापस कर दी जावेंगी
3. प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) उन छात्र/छात्राओं के लिए जो रविशंकर विश्वविद्यालय या छ.ग. शिक्षा मण्डल के सम्बद्ध किसी भी संस्था में छात्र/छात्रा न रहा है।
4. पिछली संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र
5. माता-पिता-पालक (यदि माता-पिता न हो तो) का आय प्रमाण (मूल प्रमाण पत्र) संलग्ल करें।
6. यदि छात्र/छात्रा किसी वर्ष परीक्षा में नही बैठे या अनुत्तीर्ण हुए तो ऐसे गत वर्ष/वर्षो की परीक्षा संबंधी पूरी जानकारी कोर्ट के शपथ में आवेदन पत्र के साथ देना होगा।
7. अनुसुचित जन जाति/अनुसुचित जाति पिछडा वर्ग के छात्र/छात्राओं की विभिन्न सुविधाओं हेतु तथा छात्रवृत्तियों के लिए भी प्रमाण पत्र लगानें होगे।
   (1) जाति प्रमाण पत्र (2) आय प्रमाम पत्र ये प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जावे।
8. जिन छात्र व छात्राओं के माता -पिता छ.ग.शासन के तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारी हो सेवा निवृत्त कर्मचारी या सभी वर्ग के मृतक शासकीय कर्मचारी हो, उनके अधिकारी से तत्संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा। इस प्रमाणपत्र में कर्मचारी का वेतन तथा छात्र/छात्राओं की फ्रीशिप के लिए प्रवेश के समय ही निर्धरित प्रपत्र पर आवेदन करें आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त करें।
9. (अ) सेवारत् तथा सेवा निवृत्त ऐसे द्वितीय श्रेणी के अधिकारिओं के बच्चों को शिक्षण शुल्क में छूट की सुविधा है। (ब) अ.आ./अ.ज.जा.छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट की सुविधा है।
10. नौकरी करने वाले छात्र/छात्रओं को नियोक्ता की स्वीकृती पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. विदेशी छात्र/छात्रओं को तथा ऐसे छात्र/छात्रओं की जो टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आये हो उन्हे प्रवेश प्राप्त करने के पहले अपर सचिव केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत शासन के पत्रानुसार आवश्यक योग्यता प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा तथा अपने आवेदन पत्र भारत शासन के अथवा विदेशो में भारतीय दूतावासों के माध्यम से लगाना होगा।

टीप :-

छात्रवृत्तियां-शिष्यवृत्तियां

1. छ.ग. शासन तथा भारत शासन की ओर से नियमित छात्र/छात्रओं को अनेक प्रकार की छात्रवृत्तिया प्रदान की जाती है। इच्छुक छात्र/छात्राएं पात्रतानुसार अपने आवेदन निर्धारित तिथी से पहले भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करें अंतिम तिथि के संबंध में महाविद्यालय के सूचना किया जायेगा एक छात्र/छात्र कई छात्रवृत्ति के नियमानुसार केवल एक ही छात्रवृत्ति लेने की पात्रता उन्हें होगीं।
2. आवेदन पत्र लेकर उसे समय पर कार्यालय में छात्र/छात्रा स्वयं अपनी जिम्मेदरी से जमा करें विलम्ब से अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा इसके लिए महाविद्यालय की नहीं होगी
3. पात्रता होने पर भी य़दि कोई छात्र/छात्रा उपरोक्त सुविधा के लिए आवेदन पत्र नही देते है,तो इन लाभो से वंचित रह जायेंगे जिसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी।
4. छात्रवृत्ति शिष्यावृत्ति की सुचना छात्र/छात्रओ के लिए महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी जिसे देखकर छात्र/छात्रा स्वयं छात्रवृत्ति आवेदन कार्यालय से प्राप्त करे। सामान्यतः निम्न प्रकार की छात्रवृत्ति महाविद्यालय में प्रदाय की सुविधा है :-

1. बी.पी.एल छात्रवृत्ति
2. सह-साधन
3. सामान्य छात्रवृत्ति वर्गवार- अनूसूचित जाति,जनजाति,पिछड़ावर्ग
4. केन्द्रीय छात्रवृत्ति - 80% से ऊपर अंक वाली (10+2)
5. विकलांग वर्ग के लिए छात्रवृत्ति
6. अल्पसंख्यक वर्ग हेतु

-: विशेष सूचना :-

1. महाविद्यालय के प्रांगण में किसी भी प्रकार की रैगिंग करना दंडनीय अपराध है रैगिंग करने वाले छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय से निष्कासित दिया जायेगा और इसका उल्लेख उसके स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र में विशेष रुप से कर किया जायेगा तथा उस पर अपराधिक कार्यवाही की जावेगी।
2. महाविद्यालय के पंखे,बिजली एवं पानी का उपयोग मितव्ययता पूर्वक करें।
3. छात्र/छात्राएं महाविद्यालय में सादगी से आयें। भड़कीले व कीमती वस्त्र आभूषण आदि का उपयोग न करें शालीनता का ध्यान रखा जायें।
4. उच्च शिक्षा के इस केन्द्र में पठन-पाठन के उचित वातावरण के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि अध्ययन अध्यापन कार्य पूर्ण शांति के साथ संपादित होता रहे। अतः महाविद्यालय के बरामदों में अनावश्यक रुप से चलना फिरना ,बातें करना और व्यर्थ खड़े रहना निषिद्ध है।
5. परिसर की स्वच्छता इस महाविद्यालय के अनुरुप होनी चाहिए और प्रत्येक के लिए यह गौरव का विषय होना चाहिए।
6. यह सम्भव नहीं कि छात्र/छात्राओं से संबंधित सूचनाएं प्रत्येक छात्र/छात्राओं के पृथक-पृथक दी जावें समय-समय पर सूचनाएं भी प्रसारित की जा सकती है लेकिन सदैव नहीं अतः विद्यालय में लगायें गये सूचना फलक को प्रत्येक छात्र/छात्रा प्रतिदिन आते एवं जाते समय देखने की आदत डालें अधिकारियों एवं छात्र/छात्राओं के बीच संपर्क साधने के लिए ये सूचना फलक ही माध्यम होंगे

–: सूचना :–

1. वह छात्र / छात्रा जिसे महाविद्यालय में प्रवेश मिल चुका हो उसे सत्र का शिक्षण शुल्क देना होगा, चाहे संस्था छोड़ने की तिथि कोई भी हो।
2. छात्र / छात्रा फीस स्वयं जमा करें तथा फीस काउंटर पर ही जमा करें।
3. प्रत्येक फीस या जमा की गई राशि के लिए छात्र / छात्रा उसी समय रसीद प्राप्त करें यदि रसीद मिलने में कोई कठिनाई हो तो तुरंत उसी समय प्राचार्य को सूचित करें। रसीद नहीं लेने तथा उसी समय प्राप्त न करने के जिम्मेदारी स्वयं छात्र / छात्रा की होगी।
4. शिक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्क की राशि परिवर्तनीय है परिवर्तन संबंधी सभी आदेश अनिवार्य रूप से मानने होंगे।
5. शिक्षा शुल्क छूट तथा छात्र सहायक निधि से सहायता हेतु छात्र / छात्रायें निर्धारित प्रपत्र में ही आवेदन दें प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त करें।
6. नामांकन शुल्क छात्र / छात्राओं के लिए देय है जो बोर्ड अथवा अन्य विश्वविद्यालय से स्थानांतरित होकर रविशंकर वि.वि. में नामांकित होना चाहिए।
7. जनभागीदारी समिति द्वारा महाविद्यालय विकास शुल्क लगाये जा सकतें है।

धरोहर राशि (अमानत राशि) प्राप्त करनें के नियम :–

1. धरोहर राशि निकालने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर कर महाविद्यालय के कार्यालय में कम से कम 10 दिन पूर्व जमा करें।
2. धरोहर राशि महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद दी जावेगी।
3. छात्र / छात्रा द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के 3 वर्ष के अन्दर धरोहर राशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन देना होगा। 3 वर्ष व्यतीत होने पर शासन के आदेशानुसार धरोहर राशि वापस नहीं की जावेंगी।

–: विभिन्न शुल्कों का वितरण :–

अ.)	शासकीय शुल्क :–			
(1)	पूरे सत्र का शिक्षण शुल्क			बी.ए. बीकांम – 115.00
				एम.ए.–140.00
(2)	स्टेशनरी			– 2.00
(3)	प्रवेश शुल्क			– 3.00
ब.)	अशासकीय शुल्क (महाविद्यालयीन)			
1.)	(अ) अमानत राशि			100/–(स्नातकोत्तर प्रथम बार प्रवेश)
	(ब) अमानतर राशि			60/–(महाविद्यालय में प्रथम बार स्नातक प्रवेश लेने पर जमा)
2.)	छात्र संघ शुल्क	2.00	3.) निर्धन छात्र कल्याण	5.00
4.)	परिचय पत्र	5.00	5.) महावि.विकास शुल्क	25.00
6.)	स्नेह सम्मेलन	5.00	7.) चिकित्सा शुल्क	3.00
8.)	छात्र बीमा शुल्क	4.00	9.) सम्मिलित निधि	32.00
10)	महा.ग्रंथालय विकास शुल्क	10.00		
स.)	विश्वविद्यालयीन शुल्क :–			
1)	वि.वि.छात्र संघ शुल्क			0.05
2)	वि.वि.शारीरिक कल्याण मण्डल शुल्क			150.00
3)	वि.वि. नामांकन शुल्क			100.00
4)	अप्रसाव शुल्क			200.00

नोट :– (1) अ.जा./अ.ज.जा. समस्त छात्राओं तथा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों बच्चों को विभाग से प्राप्त पर शिक्षण शुल्क से छूट रहेगी।

(2) अप्रसाव शुल्क उन छात्र/छात्रओं के देय होगा जिन्होनें छ.ग. से बाहर अन्य या विश्वविद्यालयीन से पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण की हो उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त स्नातक स्तर के छात्र/छात्राओं को 60 रु. तथा स्नातकोत्तर 100 रु. राशि के रुप में जमा करनी होगी जो महाविद्यालय छोड़ने अदेय प्रमाण पत्र पर वापस कर दी जायेगी।

जन भागीदारी समिति

महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति का गठन शासन के निर्णयानुसार प्रति दो वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है यह समिति महाविद्यालय विकास संबंधी कार्य करता है समिति के द्वारा विकास शुल्क छात्र/छात्राओं से लिये जाने के प्रवाधान है।

परिचय पत्र

प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिए परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य है। जिसमें एक पासपोर्ट साइज का फोटो लाना अनिवार्य है छात्र/छात्रा अपना परिचय पत्र सावधानी पूर्वक रखें परिचय पत्र गुम जाने पर आवश्यक शुल्क जमा कर परिचय पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करें।

प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत :-

1. बी.ए.भाग एक के आवेदन पत्र परीक्षाफल घोषित होने की तिथि के 15 दिनों के भीतर जमा करने होंगे।
2. (अ) महाविद्यालय में प्रवेश के खुले द्वार की नीति समाप्त कर दी गई है उपलब्ध सुविधा को ध्यान में रखकर प्रत्येक स्तर में प्रवेश संख्या निर्धारित की जाती है।

   (ब) प्रवेशक गुणानुक्रम के आधार पर व शासकीय नीति के अनुसार दिया जावेगा अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा पौत्र-पौत्रियों के लिए स्थान क्रमशः 12%, 18%, 14%, 3%, आरक्षित रहेंगे तथा महिलाओं हेतु वर्ग में 30% स्थान आरक्षित होंगे।
3. प्रवेश योग्यता का आधार अरर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंको का महायोग होगा।
4. हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा में पूरक घोषित छात्र/छात्राओं को जब तक किये पूरक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।
5. विश्वविद्यालय परीक्षा में पूरक प्राप्त परिक्षार्थी को अगली कक्षा में अरथाई प्रवेश उत्तीर्ण छात्रों के पश्चात् गुणानुक्रम के अनुसार दिया जा सकेगा।
6. बी.ए.भाग एक कक्षा में ऐसे छात्र जिन्होने विगत 3 वर्षो से हायर सेकेडरी स्कूल की अंतर संभागीत खेलकूद प्रतियोगिता मे संभाग का प्रतिनिधित्व किया हो कुल प्राप्त अंको का 5% अतिरिक्त लाभ देकर गुणानुक्रम सूची में उनका स्थान निर्धारित किया जायेगा।
7. स्नातक स्तर पर संकाय की प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुउत्तीर्ण छात्रकों दूसरे संकाय में प्रवेश पाने की सुविधा एक बार स्थान रिक्त होने पर दी जावेंगी।
8. स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उन्हे महाविद्यालय में दूसरे निकाय के स्नातक स्तर की कक्षा में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
9. आयु 22 वर्ष तक के छात्र को ही प्रवेश दिया जायेगा तथा अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए 3 वर्ष की छूट का प्रावधान है। जो छात्र महाविद्यालय में किसी भी कक्षा में प्रवेश लेकर परीक्षा में सम्मिलित नही हुआ है उसे तब तक प्रवेश नहीं दिया जावेगा तब तक की वह उस कक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर लेता।
10. जिन छात्रों के विरुद्ध अपराधिक अथवा अनैतिक संबंधी प्रकरण अथवा परीक्षा अधिनियम अंतर्गत प्रकरण पुलिस अथवा न्यायालय में लंबित हो अथवा जिन छात्रों ने परीक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया हो उन्हें तब तक प्रवेश नहीं दिया जावेगा जब तक वे उस कक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर लेता।

विषय	स्नातक स्तर	सीट	शुल्क	स्नातकोत्तर	सीट	शुल्क
राजनीति	बी.ए.-प्रथम	450	अ.- 410.50			
इतिहास		450	भा.-120	इतिहास	30	अ.-441.50
हिन्दी साहित्य		450	अ.शासकीय-241.150			भा.-160
अर्थ शास्त्र	बी.ए.-द्वितीय	450	भा.शासकीय -120			
समाज शास्त्र		450		हिन्दी साहित्य	60	अ.-441.50
आधार पा.	बी.ए.-तृतीय	450				भा.-160
वाणिज्य संकाय	वी.कॉम-I,II,III	60	उपरोक्तानुसार			
बी.एस-सी विज्ञान/गणित	बी.एस-सी प्रथम	60	उपरोक्तानुसार	पी.जी.डी.सी.ए	60	अ.-441.50
डी.सी.ए	डी.सी.ए	60	उपरोक्तानुसार			भा.-160

आचरण संहिता

1. जिन छात्र/छात्राओं का आचरण असंतोष जनक रहा अथवा जिनके प्रवेश से महाविद्यालय में अशांति की आशंका है ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. प्रवेश छात्र/छात्रा अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित अध्ययन पर लगायें साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा अनुमोदित पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में पूरा-पूरा सहयोग दें।
3. महाविद्यालय की संपत्ति, भवन, पुस्तकालय आदि व्यवस्था सुरक्षा एवं स्वच्छता में प्रत्येक छात्र/छात्रा रुचि और शांति कायम रखने में और उसे सुधारने में सहयोग देंगे। इसके विपरित आचरण वर्ज्य होगा।
4. प्रत्येक छात्र/छात्रा अपने व्यवहार में सहपाठियों और शिक्षकों से नम्रता का व्यवहार करेंगे।
5. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन वर्ज्य होगा।
6. छात्र/छात्राओं का यदि कोई कठिनाई हो, तो गुरुजन अथवा प्राचार्य के समक्ष निर्धारित प्रणाली से और शांति पूर्वक ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
7. महाविद्यालय दीवारों अथवा कक्षाओं में कुछ न लिखें।
8. आन्दोलन हिंसा अथवा आतंक द्वारा किसी भी कठिनाई को हल करने की मांगे छात्र/छात्रा नहीं अपनावेंगे।
9. छात्र/छात्रा सक्रिय दलगत राजनीति में भाग नहीं लेने और अपनी समस्याओं के विषय में राजनितिक दलों कार्यकर्ता अथवा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से हस्तक्षेप या सहायता नहीं मांगेंगे।
10. परीक्षाओं या उनके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जावेगा।
11. आचरण के इस साधारण नियम भंग होने पर छात्र/छात्राओं को चाहिए की दोषी व्यक्ति को उचित दण्ड दिये जाने में सहयोग करें। जिससे महाविद्यालय का प्राथमिक कार्य अध्ययन शांति और मनोयोग के साथ चल सकें।
12. छात्र/छात्राओं को यह सावधानी रखनी होगी कि अनैतिक मूलक या अन्य गंभीर अपराध का आरोप उन पर न लगे परन्तु ऐसा हुआ तो उनको तत्काल महाविद्यालय से हटा दिया जावेगा और वे महाविद्यालय में किसी भी छात्र/छात्रा प्रतिनिधि पद पर बने नहीं रह सकेंगे।
13. प्राचार्य यह अधिकार है कि वह किसी भी छात्र/छात्रा को प्रवेश के लिए मना कर दे और इस विषय में किसी कानूनी कार्यवाही करने का हक किसी भी व्यक्ति को नही होगा। प्राचार्य का अधिकार इस विषय में अंतिम होगा।
14. विश्व विद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है।

पुस्तकालय

पुस्तकालय का छात्र/छात्राएं पूरा उपयोग करें। यदे छात्र/छात्राएं पुस्तकालय सुविधा का दुरुपयोग करते है तो उसे इस सुविधा से वंचित किया जा सकता है। पुस्तकों के पृष्ठ फटे या खोये हुए पाये गये तो छात्र/छात्राओं को नई पुस्तक देनी होगी। पुस्तक लेते समय छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे देख लें कि पुस्तक का कोई पृष्ठ फटा या खोया हुआ नहीं है यदि ऐसे पाये तो वह ग्रंथालय का ध्यानइस ओर आकर्षित करे ताकि सहीं ढ़ंग कर पुस्तक प्रदान की जा सकें। निर्धारित समय के भीतर पुस्तक वापस नही करने की दशा में अर्थदण्ड देना होगा। महाविद्यालय के ग्रंथालय में कला वाणिज्य, विज्ञान, गणित, डी.सी.ए., पी.जी.डी..सी.ए., विभिन्न विषयो के लिए उत्कृष्ट संकलन है।

ग्रंथालय के नियम

1. प्रत्येक छात्र/छात्रा को 15 दिन के लिए 2 पुस्तकें दी जावेंगी।
2. पुस्तक की वापसी निश्चित तिथि पर न करने से 1/-रु. प्रतिदिन के दर से आर्थिक दण्ड देना होगा।
3. ग्रंथालय के पुस्तकें प्राप्त करने के पूर्व छात्र/छात्राओं को अपना परिचय पत्र महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
4. सभी पुस्तकें छात्र/छात्राओं की परीक्षा के पूर्व लौटाना अनिवार्य है।

बुक बैंक

अ. जा एवं अ.ज.जा.वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु बुक बैंक से भी पुस्तकें पूरे सत्र के लिए देने का प्रावधान है जिसे सत्रांत में विद्यार्थी वापस करते है।

छात्र समिति

महाविद्यालय की छात्र/छात्राओं की कलात्मक सांस्कृतिक साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहन करने हेतु शासन के निर्णयानुसार गठित होता है प्रत्येक छात्र/छात्रा ,छात्र समिति-के सदस्य होता है इसका कार्य परामर्शदाता प्राध्यापक तथा प्राचार्य के मीर्ग दर्शन में ही किया जाता है। संघ की समस्त गतिविधियों में जो उन उद्देश्यों की पूर्ति करते है प्रत्येक छात्रा/छात्रा शक्ति सहयोग अपेक्षित रहेगा।

खेल कूद

इस महा विद्यालय में क्रीडांगन में उंचीकूद,लम्बीकूद,बैडमिंटन,व्हालीबाल,कबड्डी,क्रिकेट,फुटबाल आदि खेल की सुविधा उपलब्ध है।

राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई (N.S.S.)

इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाईं (100 सदस्यीय) है जिसमें छात्रों का प्रवेश स्वैच्छिक है इस इकाईं द्वारा समाज सेवा से संबंधित कार्य किये जाते है। रा.से.यो द्वारा महाविद्यालय स्तर पर "B" सर्टिफिकेट परीक्षा का आयोजन किया जाता है।

बी. पी. एल. बुक बैंक योजना

कार्यालय आयुक्त उ.शि.वि.रायपुर के पत्र क्र.3467/आ.उ.शि.05/रायपुर दिनांक05-04-2005 के तारतम्य में महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को बी.पी.एल. बुक बैंक योजना एवं बी.पी.एल.(गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले) छात्र कल्याण छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है।

छात्र हित में सूचित है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन संबंधीत प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य प्रवेश आवेदन के साथ संलग्न कर इस योजना का लाभ प्राप्त करें।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

सामान्य नियम :-

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशःपालन करना होगा इसका पालन न करने पर शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नही होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्योत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा को प्रयोग गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग न करेंगे।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर का स्वच्छता बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रवास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थुकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनितिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंध है।

अध्ययन संबंधी नियम :-

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोग शाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा उनको स्वच्छ रखेगा प्रयोग शाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होंगी तथा समय पर लौटाने पर निर्धारित अर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधी किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शान्तिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. व्याख्यान कक्षों प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रीक, फिटिंग आदि को तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम :-

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टि फिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके सम्बंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छ.ग. शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर 5 साल तक कारावास की सजा या 5 हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क भुगतान नहीं करता तों उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तत्थों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उस महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।